

नियम - 298 - हर कार्यालय में सेवापुस्तों का सत्यापन कार्यालय प्रधान या उसके अधीन किसी वरीय राजपत्रित पदाधिकारी को प्रतिवर्ष जुलाई में करना चाहिए। इस विषय में अपना समाधान कर लेने के बाद कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संबद्ध सरकारी सेवक की सेवायें उसकी सेवापुस्त में उपर्युक्त अनुदेशों के अनुकूल सही तौर पर अभिलिखित हैं, उसे उसमें अपने हस्ताक्षर के साथ निम्न शब्दों में एक प्रमाण पत्र अभिलिखित करना चाहिए।

नियम - 299 - प्रत्येक कार्यालय प्रधान सेवापुस्तों और सेवापुस्तियों के अलग-अलग पंजियाँ रखेगा। सेवापुस्तें और सेवापुस्तियाँ पंजियों में क्रमानुसार संख्यांकित और लिखित होंगी। इस प्रकार दिया गया क्रमांक संबद्ध लेख्य के आवरण पर सुलक्ष्य रूप में लिख दिया जायेगा। उस पंजी में ऐसे प्रत्येक लेख्य का संक्षिप्त विवरण और संबद्ध सरकारी सेवक की बदली, पदत्याग, उन्मुक्ति और निवृत्ति आदि पर उस लेख्य के संबंध में की गई कार्रवाई रहेगी। सेवापुस्तों और सेवापुस्तियों को कोई जिम्मेवार पदाधिकारी समय-समय पर पंजियों के साथ, यह देखने के लिए मिलाएगा कि कोई लेख्य खो तो नहीं गया है और पंजियों की प्रविष्टियाँ अद्यतन हैं। इस आशय का एक प्रमाण पत्र, सेवापुस्त की जाँच के हर अवसर पर संबद्ध पदाधिकारी अभिलिखित कर देगा।

नाम में परिवर्तन :-

- (1) सरकारी कर्मचारी उसी नाम से जाना जाता है, जो इसकी सेवा पुस्तिका में लिखा हो। यह उसके हाई स्कूल प्रमाण पत्र पर आधारित होता है, जिसे वह भर्ती के समय प्रस्तुत करता है। यदि बाद में उसमें परिवर्तन की आवश्यकता हो तो निर्धारित कार्यवधि का पालन करना होगा।
- (2) यदि कोई कर्मचारी अपना नया नाम रखना चाहे अथवा मौजूदा नाम में कोई परिवर्तन करना चाहे तो उसे कहना चाहिए कि एक विलेख (डीड) द्वारा अपने नाम में परिवर्तन करके औपचारिक रूप से परिवर्तन नाम को अपनाए/विलेख के निष्पादन के बाद नाम परिवर्तन की सूचना किसी प्रमुख स्थानीय समाचार पत्र में और भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जानी चाहिए। नये नाम अथवा मौजूदा नाम में परिवर्तन को सरकारी रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। नये नाम अथवा मौजूदा नाम में परिवर्तन को सरकारी रूप से मान्यता दी जानी चाहिए और सरकारी अभिलेखों के इन्दराजों में तदनुसार यथावश्यक संशोधन किये जाने चाहिए। संगत प्रलेखों की सही प्रतिलिपियाँ तैयार करके उन्हें संबंधित कर्मचारी की वैयक्तिक रिकार्ड में नोट कर देना चाहिये।